अति आवश्यक / तत्काल

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त अपर निदेशक (ग्रेड—2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2—समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

संख्या 4124 / स्था0—1 / एक—क / 15(7) / 2019—20 दिनांक: 17.6.19

विषयः निदेशालय / शासन में अधिकारियों / कर्मचारियों की अनावश्यक उपस्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विभिन्न संवर्गो के श्रेणी—1 / 2 अथवा श्रेणी—3 के अधिकारी / कर्मचारी, निदेशालय / शासन में प्रायः0 भ्रमण करते हुए पाए जाते है। उक्त कार्मिकों द्वारा बिना सक्षम स्तरीय नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के भ्रमण करना सरकारी कर्मचारी आचरण नियामवली के विपरीत है, इससे जहां एक ओर राजकीय कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय स्तर पर पशु चिकित्सकों की उपलब्धता भी कुप्रभावित होती है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में कृषकों / पशुपालकों हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर जाने के लिये अवकाश स्वीकृत न किया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी कार्मिक, बिना जनपदीय / मण्डल स्तरीय नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के निदेशालय / शासन में अनावश्यक उपस्थित न हों। यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी बिना समुचित स्तरीय अनुमति के अनावश्यक भम्रण करते हुए पाया गया तो उसके लिए आप एवं संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

संख्या / स्था0—1 / एक—क / 15(7) / 2019—20 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, लखनऊ।
2— उप निदेशक (प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
3— प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4— विभागीय वेबसाइड पर डालने हेतु।

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास